

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:- जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./08/डी-२/५

दिनांक:- १८-३-८५

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 44 वीं बैठक दिनांक: 13.2.08 को पुर्वान्ह 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

| क्र. सं | जोन | प्रस्ताव सं० | विषय | निर्णय |
|---------|-----|--------------|--|---|
| 1. | | 44:1 | प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 43 वीं बैठक दिनांक: 15.12.07 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत्। | प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 43 वीं बैठक दिनांक: 15.12.07 के कार्यवाही विवरण का सर्व सम्पत्ति से अनुमोदन किया गया। |
| 2. | 2 | 44.2 | ग्राम नाहरगढ़ के खसरा नं 513 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लीज डॉड भूखण्ड संख्या 6 व 7 के पीछे भू-पट्टी आवंटन बाबत्। | उपायुक्त जोन-2 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि भू.सं. 7 के पीछे 76फीट लम्बी एवं 86फीट चौड़ी भू-पट्टी उपलब्ध है। इसी प्रकार भू.सं. 6 के पीछे 78 फीट लम्बी व 8.6 फीट चौड़ी भू-पट्टी उपलब्ध बताई है। इसके अतिरिक्त इस भूमि का उपयोग जविप्रा के लिए नहीं है। अतः Raj. Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 के नियम 23 के तहत भूमि के भू-पट्टी के आवंटन का निर्णय किया जाना है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार Raj. Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 के नियम 23 के तहत भू-पट्टी जोन की आवासीय आरक्षित दर के दोगुनी दर से आवंटन की कार्यवाही की जावे। |
| 3. | 4 | 44:3 | प्रकरण संख्या-13/85 इजराय संख्या-16/98 श्री सत्यनारायण बनाम जविप्रा में डिक्रीधारी को भूमि आवंटन बाबत्। | उपायुक्त जोन-4 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण संख्या 13/85 व इजराय संख्या 16/98 श्री सत्यनारायण गुप्ता बनाम जविप्रा में पारित निर्णय "बादी नेशनल हाईवे जयपुर दिल्ली रोड़ पर पेट्रोल पम्प के लिये नियत तीन प्लाटों में दक्षिण कोने वाला प्लाट जिसका क्षेत्रफल 100x125 फुट है। उन्हीं शर्तों पर जिन पर पहले कब्रिस्तान के पास वाली जगह का प्रतिवादी ने एप्रीमेन्ट किया है अलाट कराने का अधिकारी है तथा उक्त प्लाट का कब्जा भी प्रतिवादी से ग्राह करने का अधिकारी है। लादी इस संबंध में प्रतिवादी से लीजडीड पंजीकृत कराने का भी अधिकारी है।" तथा माननीय सिविल न्यायालय (क. ख.) पूर्व जयपुर के द्वारा दिनांक 5.03.05 को निम्न आदेश पारित किये " वकील डिक्रीदार उप. मदयूम की आर मे श्री |

श्रति० द्वायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

गोविन्द शर्मा, एण्ड ने पालना हेतु 15 दिवस का समय चाहा अंतिम अवसर दिया जाता है जे. डी. ए. मदयूम की ओर से बार बार अवसर लिये जाते रहे हैं लेकिन कोई पालना डिकी की नहीं की जा रही है ऐसी सूरत में आदेश दिये जाते हैं कि दिनांक 21.03.05 तक यदि डिकी की पालना नहीं की जाती है तो जैसा कि डिकीदार ने निवेदन किया है मदयूम के विरुद्ध कुर्की जैसी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। बारण्ट कुर्की आदेश 21 नियम 32 सी. पी. सी. के अन्तर्गत जारी किये जाने की पूर्व में दिनांक 7.07.01 को ही आदेश जारी किये जा चुके हैं जो मदयूम के अधिवक्ता द्वारा बार बार पालना हेतु समय लिये गये हैं मदयूम द्वारा आवश्यक रूप से पालना डिकी की नहीं होने पर उन्द्र कार्यवाही की जायेगी दिनांक 31.03.05 को पेश हों।" उपायुक्त जोन 2 बी ने अपने पत्र क्रमांक डी-121 दिनांक 28.03.05 (पृष्ठ सं. 79) के द्वारा श्री सत्यनारायण गुप्ता C/O हिन्दुतान आयल कम्पनी 4 म्यूजियम मार्ग मोती ढूगरी रोड जयपुर को सूचित किया कि उनवानी प्रकरण में आज दिनांक 21.03.05 को माननीय न्यायालय में उपस्थित हुआ। जविप्रा द्वारा आपको जविप्रा की योजना लोहा मण्डी में पेट्रोल पम्प हेतु भूखण्ड आपके ग्रार्थना पत्र अनुसार आवंटित किया गया। जिस पर आपने अपनी सहमति प्रदान नहीं की है। माननीय न्यायालय में अपने आदेश में आपसी सहमति से पेट्रोल पम्प आवंटित करने के निर्देश दिये हैं। अतः आप अपनी सहमति प्रस्तुत करें। ताकि डिकी की पालना की जा सकें।

इस प्रकार उपरोक्त आदेशों की पालना में डिकीदार की सहमति से डिकीदार को उसके क्लेम 100X125 वर्ग फीट क्षेत्रफल 1389 वर्ग गज के विपरीत आश्रम रोड पर पावर हाउस के पास स्थित एक व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 1456 वर्ग गज की नाप का होने के कारण (पृष्ठ सं. 83 मानचित्र में अंकित है) उसको पेट्रोल पम्प हेतु डिकीदार को उन्हीं शर्तों पर जिन पर पहले कब्रिस्तान के पास बाली जगह का प्रतिवादी ने एग्रीमेन्ट किया है जो पत्रावली एफ-5 (49) जविप्रा/ टीपी/85 के पृष्ठ 40 से 44 पर अंकित प्रतिज्ञा पत्र की शर्तों तथा वर्तमान जविप्रा नियमों के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार भूमि आवंटन किये जाने व क्लेम के अतिरिक्त 77 वर्ग गज भूमि की बाजार कीमत के रूप में निरेशक वित्त की राय के अनुसार नीलामी दिनांक 27.07.05 को अधिकतम दर 45150 प्रति वर्ग फीट की दर के आधार पर ली गई कुल राशि 3366500/- की स्वीकृति हेतु तथा वाणिज्यिक भूमि होने के कारण प्रकरण को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाने के संबंध में निर्णयार्थ प्रकरण एल. पी. सी. के समक्ष प्रस्तुत है।

उपरोक्त नियमों प्राप्तिकरण, जयपुर
जविप्रा (एल. पी. सी.)

| | | | |
|----|---|------|---|
| | | | <p>उपरोक्त आवंटन की स्वीकृति आयुक्त महोदय द्वारा न्यायालय की इजराय की पालना में आगमी तारीख पेशी को ध्यान में रखते हुए एल.पी.सी. में पुष्टि की शर्त पर प्रदल की जा चुकी है। डिक्रीदार के पक्ष में आवंटन-पत्र दिनांक 15.11.07 को जारी किया जाकर वादी को सूचित कर दिया गया था। समिति द्वारा विचार विमर्श कर न्यायिक प्रकरण की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में की गई आवंटन की कार्यवाही की पुष्टि की गई व निर्णय लिया गया कि प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ भिजवाया जावे।</p> |
| 4. | 6 | 44:4 | <p>भूखण्ड संख्या 85 व 86 प्रभात कालोनी के सामने उपलब्ध भू-पट्टी आवंटित करने के संबंध में।</p> <p>उपायुक्त जोन-6 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि भूखण्ड सं. 85 व 86 म्युचुअल गृ.नि.स.स. की स्कीम न. 12 प्रभात कालोनी में अंकित है। उक्त भूखण्डो की लीजडीड भूखण्डो के सामने 60 फीट सड़क दर्शाते हुए जारी की गई थी। बीपीसी एल.पी. की 81 वीं बैठक दि. 4.3.05 में लिये गये निर्णय अनुसार भूखण्ड सं. 85 से 90 के पूर्व की ओर उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को भूखण्ड सं. 85 से 90 के भूखण्डधारियों को नियमानुसार भूपट्टी के रूप में आवंटन कर दिया जावे। नियमानुसार भूखण्ड सं. 85 व 86 के भूखण्डधारियों द्वारा भू-पट्टी आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। भूखण्ड सं. 87 से 90 के भूखण्डधारियों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूखण्ड सं. 85 व 86 के भूखण्डधारियों को क्रमशः 71.65 तथा 70 वर्गमील भूपट्टी आवंटन किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार Raj. Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 के नियम 23 के तहत भू-पट्टी जोन की आवासीय आरक्षित दर के दोगुनी दर से आवंटन की कार्यवाही की जावे तथा शेष भूखण्ड संख्या 87 से 90 के भूखण्डधारियों को भूपट्टी के संबंध में नोटिस जारी किया जावे।</p> |
| 5. | 6 | 44:5 | <p>डाकघर को आवंटित भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने के संबंध में।</p> <p>उपायुक्त जोन-6 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि श्री बी.टी.मेघानी पोस्ट मास्टर जनरल राज. जयपुर से प्राप्त अद्वशासकीय पत्र क्रमांक बिल्डिंग 32/15 दिनांक 17.11.1986 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना मुरलीपुरा में पोस्ट आफीस हेतु कम से कम 1500 से 2000 व.ग. भूमि के आवंटन हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया था।</p> <p>भूमि एवं सम्पत्ति समिति की 88 वीं बैठक दिनांक 20.10.1987 को लिये गये निर्णय में पोस्ट मास्टर जनरल राज. सर्किल जयपुर को पोस्ट आफीस भवन निर्माण हेतु मुरलीपुरा योजना स्थित</p> <p style="text-align: center;">(एल.पी.सी.) जयपुर नगरपालिका, जयपुर</p> |

| | | | |
|----|---|------|--|
| | | | <p>सामुदायिक भवन के पास 1200 व.ग. भूमि योजना की सुरक्षित दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया था।</p> <p>पोस्ट मास्टर जनरल राज. सर्किल जथपुर को आवंटन पत्र क्रमांक एफ-1 (97) जविप्रा/मु. रा. अ/एस.ए-86 दिनांक 18.4.1988 से 1213.13 व.ग. (1014.33 वर्मी.) भूमि का आवंटन योजना की सुरक्षित दर 190/-रुपये प्रति व.गी. की दर से आवंटन किया गया। आवंटन पत्र की शर्त स. 6 के अनुसार 'भूखण्ड का निर्माण कार्य आवंटन पत्र की तिथि से 6 माह की अवधि में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार प्रारम्भ किया जावेगा एवं दो वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लिया जावेगा। भवन मानचित्र अनुमोदन करवाने की जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।</p> <p>शर्त स. 7 के अनुसार यदि आवंटन की तिथि से भूमि का उपयोग 2 वर्ष की अवधि में नहीं किया गया तो भूखण्ड व उस पर बने अधूरे भवन, यदि कोई हो तो, को अधिग्रहित कर लिया जावेगा व मुआवजा देय नहीं होगा।</p> <p>पोस्ट आफीस विभाग द्वारा भूखण्ड की शहरी जमाबंदी लगातार जमा करवायी जा रही है परन्तु आवंटन पत्र की शर्त अनुसार भूखण्ड पर आज दिनांक तक भवन निर्माण नहीं करवाया गया है। जिससे भूखण्ड का आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। पत्रावली में सलंगन कार्यालय टिप्पणी की पैरा 198/एन. व 199/एन. पर भूखण्ड आवंटन निरस्त कर भूखण्ड का पुनर्ग्रहण किये जाने हेतु श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा सहमति दी गई है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श के दौरान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल से प्राप्त पत्र D.O.No. Bldg/1-17/Murlipura/2008 12th February 2008 व डाकघर की क्षेत्रीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण में आवंटन जारी रखा जाकर आवंटी को 1 साल की अवधि में निर्माण की शिथिलता दी गई। आवंटी द्वारा इस अवधि में डाकघर का निर्माण नहीं किए जाने पर आवंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही पुनः की जावे। इस प्रकार प्रकरण स्थगित किया गया।</p> |
| 6. | 7 | 44:6 | <p>ब्राइट लैण्डस एजुकेशनल सोसायटी, वैशाली नगर, जयपुर को गोम्ब डिफेन्स कॉलोनी के सुविधा क्षेत्र की 1600व.ग. भूमि आवंटन करने के संबंध में।</p> <p>जयपुर विकास प्रबन्धणा, जयपुर ब्राइट लैण्डस एजुकेशनल सोसायटी (प.ल.पी.सी.)</p> |

| | | | |
|----|---|------|---|
| | | | <p>डिफेन्स कॉलोनी के सुविधा क्षेत्र की रिक्त भूमि का आवंटन चाहती है। जिसके लिए प्रकरण भूमि आवंटन के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में संस्था को वैशाली नगर में सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के संचालन हेतु क्षेत्र 11333.08 वर्ग मीटर भूमि दिनांक 23.08.89 को 75/- रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आवंटित की गयी है। मौका रिपोर्ट के अनुसार 100 कमरे निर्मित तथा विद्यालय संचालित है। लगभग 2200 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।</p> <p>जोन उपायुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि मौके पर चारदीवारी का निर्माण हो रखा है। जिसकी राशि भी आवंटी से लेय है। भू-उपयोग संस्थानिक परिवर्तित कराया जा चुका है।</p> <p>विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया है कि संस्था को किसी ज्ञाने वाला भू-आवंटन रियायती दर पर द्वितीय आवंटन है, अतः राज्य सरकार को द्वितीय आवंटन संस्थानिक दर पर करने हेतु समस्त तथ्यों सहित प्रस्ताव भिजवाया जावे। यदि राज्य सरकार द्वारा प्रकरण में आवंटन की स्वीकृति दी जाती तो आवंटन की कार्यवाही नियमान्वार्गित नीतिगत शर्तों पर की जावे तथा आवंटन होने पर आवंटी संस्था से बाउण्ड्रीबाल का खर्चा भी बसूल किया जावे।</p> |
| 7. | 7 | 44:7 | <p>भूखण्ड संख्या-ए-245 एस, ए-246, 247, 248 हनुमान नगर के अतिरिक्त भू-पट्टी आवंटन बाबत।</p> <p>उपायुक्त ज्ञान-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि भूखण्ड संख्या ए- 245-एस, ए-246 से ए-249 हनुमान नगर के भूखण्डों के सामने अतिरिक्त भू-पट्टी कमश: 41.40, 41.45, 43.68, 53.47, 61.89 वर्ग गज अतिरिक्त भू-पट्टी है। उक्त भूखण्डधारियों को भू-पट्टी आवंटन के संबंध में प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति समिति की 217 वीं बैठक दिनांक 18.5.1996 में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया जिसमें उक्त भूखण्ड धारियों को योजना की तत्कालीन आरक्षित दर 1100/- प्रति वर्ग मीटर की दुगुनी अर्थात् 2200/- रूपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भू-पट्टी आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के कम में भूखण्ड संख्या ए-249 के भूखण्डधारी को दिनांक 9.7.1996 को मांग-पत्र जारी किया गया एवं उक्त भू-पट्टी का आवंटन कर दिया गया। अन्य 4 भूखण्डधारी भूखण्ड संख्या ए- 245-एस, ए-246, ए-247, ए-248 को यह सूचित किया गया कि समिति द्वारा प्रस्तुत रूचि की छायाप्रति में उक्त भूखण्ड संख्या परं नाम न होने के कारण आवंटन-पत्र की कार्यवाही नहीं की गई, जिस कारण आवंटन-पत्र जारी के पश्चात ही अतिरिक्त भू-पट्टी आवंटन की कार्यवाही संभव हो सकती है। तत्पश्चात इन भूखण्डों के मूल क्षेत्रफल के आवंटन-पत्र, लीजडीड</p> <p style="text-align: right;">ज्ञान (ए.वी.सी.) प्राप्तिकाल, जयगढ़</p> |

| | | | <p>आदि पत्रावली में दिनांक 13.7.2007 को जारी किए हुए है परन्तु अतिरिक्त भू-पट्टी की न तो जराना राशि जमा है और न आवंटन-पत्र जारी है। अब इन चारों भूखण्डधारियों द्वारा भी भू-पट्टी आवंटन की मांग की गई है। भू-पट्टी के आवंटन का निर्णय पूर्व में ही एल.पी.सी. को बैठक संख्या 217 बी दिनांक 18.5.96 में लिया जा चुका है। निर्णय की प्रति परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है।</p> <p>अतः चारों भूखण्डधारियों को अतिरिक्त भू-पट्टी का आवंटन योजना की वर्तमान आरक्षित दर 3300/- प्रति वर्ग मीटर की दुगुनी दर अर्थात् 6600/- रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मांग-पत्र एल.पी.सी. से अनुमोदन की प्रत्याशा में आयुक्त महो. की सक्षम स्वीकृति पश्चात जारी किये जा चुके हैं। भूखण्डधारियों द्वारा उपरोक्तानुसार मांगी गई राशि दिनांक 28.12.2007 एवं 12.1.2008 को जमा कराई जा चुकी है। उक्त मांग-पत्रों के कम में भूखण्डधारियों द्वारा निम्नानुसार राशि जमा करवाकर अतिरिक्त भू-पट्टी का पट्टा जारी करने हेतु मांग की गई है।</p> |
|--|---------------|-----------------------|---|
| क. | भूखण्ड संख्या | भू-पट्टी का क्षेत्रफल | जमा कराई गई राशि |
| 1. | ए-245-एस | 41.40 व.ग. | 274665/- |
| 2. | ए-246 | 41.45 व.ग. | 274996/- |
| 3. | ए-247 | 43.68 व.ग. | 289792/- |
| 4. | ए-248 | 53.47 व.ग. | 354741/- |
| अतः प्रकरण उक्त चारों भूखण्डों को अतिरिक्त भू-पट्टी के आवंटन का जारी मांग-पत्र के अनुमोदन हेतु एल.पी.सी. के समक्ष post-facto स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। | | | |
| समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि Raj. Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 के नियम 23 के तहत भू-पट्टी जोन की आवासीय आरक्षित दर के दोगुनी दर से आवंटन की Post-facto कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। | | | |
| 8. | 7 | 44:8 | <p>नानकपुरी गृ.नि.स.स. की योजना शिवराज निकेतन (खातीपुरा) के भूखण्ड संख्या 79 एवं 81 में मौके की स्थिति अनुसार बढ़ रही अधिक भूमि क्षेत्रफल कमशा: 76.75 वर्गांगज एवं 33.75 वर्गांगज की दर निर्धारण के संबंध में।</p> <p>(ली.पी.सी.) जयपुर</p> <p>उपर्युक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी श्री विधाधर पूनियां पुत्र रिछपाल सिंह ने भूखण्ड संख्या 79 एवं 81 (नानकपुरी गृ.नि.स सहकारी समिति लि. की योजना शिवराज निकेतन) के नियमन हेतु जोन में दिनांक 09.05.05 एवं 12.05.05 को आवेदन किया है। प्रकरण में मौके की स्थिति के अनुसार योजना के भूखण्ड संख्या 65,66,67, 73,74,79,80 एवं 81 की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन के कारण भूखण्डों के क्षेत्रफल में हुई बढ़ातरी के संबंध में बी.पी.सी. (एल.पी.) की 101वीं बैठक दिनांक 10.11.06 में योजना मार्गदर्शन में</p> |

| | | | | |
|----|----|------|---|---|
| | | | | <p>संशोधन कर मौके पर उपलब्ध अतिरिक्त भू-पट्टी के रूप में नियमानुसार आंवटन किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है जो की परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। अतः जोन द्वारा इस निर्णय के अनुसार आंवटित भू-पट्टी के लिये आरक्षित दर के दुगने अर्थात् (3300×2) 6600 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर पर नियमन राशि गणना की गई लेकिन प्रार्थी ने सहकारी समिति की योजना में कृषि भूमि नियमन प्रकरणों पर लागू आदेश कमांक जविप्रा/2000/2022 दिनांक 14.03.2000 के अनुसार नियमन राशि लिये जाने का निवेदन किया है। तथा इस जोन की एक अन्य योजना अमर नगर (स्कीम न. 5) के भूखण्डों में बढ़ रही अति-भूमि पर बी.पी.सी. द्वारा आदेश दिनांक 14.03.2000 के अनुसार राशि लिये जाने के निर्णय का संदर्भ भी अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 06.09.07 में दिया है। उल्लेखनीय है कि नेशनल कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी की योजना अमर नगर (स्कीम न. 5) के भूखण्ड संख्या 131 से 138 के प्रकरण में भी भी बी.पी.सी. ने आंवटन के समय प्रकरण में अतिरिक्त भू-पट्टी का उल्लेख किया एवं पुनः बैठक दिनांक 26.07.07 में स्पष्ट किया इस अति-भूमि पर आदेश दिनांक 14.03.2000 के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना निर्धारित है। इसी प्रकार जोन क्षेत्र की शंकर भवन गृह नि.स.समिति की योजना सत्य कॉलोनी के भूखण्ड संख्या 18ए, 18बी, 18सी, में भी आदेश दिनांक 14.03.2000 के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने का निर्णय प्रदान किया। उक्त दोनों प्रकरणों में बी.पी.सी. के निर्णयों की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। जोन स्तर पर परीक्षण उपरान्त तीनों प्रकरण समान प्रकृति के पाये गये, क्योंकि आंवटन योग्य भूमि सहकारी समिति की योजना में ही है। अतः इस प्रकरण में भी नियमन राशि किस दर पर ली जानी है के निर्णय हेतु प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार Raj. Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 के नियम 23 के तहत आंवटन हेतु प्रस्तावित भूमि को भू-पट्टी मानते हुए जोन की आवासीय आरक्षित दर के दोगुनी दर से आंवटन की कार्यवाही की जावे।</p> |
| 9. | 10 | 44.9 | कार्नर इ.डब्ल्यू.एस. व एल. आई.जी. आवास गृहों में अधिक बढ़ा क्षेत्रफल की नजराना राशि वसूलने के संबंध | <p>उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि आवास गृहों के आंवटन के समय श्रेणी के अनुसार 40 व.मी. व 90 व.मी. के थे, जो कार्नर के होने के कारण 40 व.मी. का भूखण्ड बढ़कर 70 व.मी. तथा 90 व.मी. का भूखण्ड बढ़कर 135</p> <p style="text-align: center;">उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि आवास गृहों के आंवटन के समय श्रेणी के अनुसार 40 व.मी. व 90 व.मी. के थे, जो कार्नर के होने के कारण 40 व.मी. का भूखण्ड बढ़कर 70 व.मी. तथा 90 व.मी. का भूखण्ड बढ़कर 135</p> <p style="text-align: center;">उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि आवास गृहों के आंवटन के समय श्रेणी के अनुसार 40 व.मी. व 90 व.मी. के थे, जो कार्नर के होने के कारण 40 व.मी. का भूखण्ड बढ़कर 70 व.मी. तथा 90 व.मी. का भूखण्ड बढ़कर 135</p> <p style="text-align: center;">उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि आवास गृहों के आंवटन के समय श्रेणी के अनुसार 40 व.मी. व 90 व.मी. के थे, जो कार्नर के होने के कारण 40 व.मी. का भूखण्ड बढ़कर 70 व.मी. तथा 90 व.मी. का भूखण्ड बढ़कर 135</p> |

अधिकारी नियमन
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

| | | | |
|-----|----|-------|--|
| | | | <p>व.मी. का हो गया है। जिनके संबंध में जोन-10 के सहायक नगर नियोजक से तकनीकी रिपोर्ट कर्जी गई है। रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त बढ़ी भूमि पर पृथक से भूखण्ड सूजित नहीं किया जा सकता है। अतः अतिरिक्त बढ़ा क्षेत्रफल राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के तहत भू-पट्टी आरक्षित दर की दुगुनी दर पर दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि भूखण्डधारियों को पूर्व में आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत से अधिक है, जिस भूमि का आवंटन भू-पट्टी के रूप में आवासीय आरक्षित दर के दुगुनी दर पर किया जा सकता है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार Raj. Improvement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 के नियम 23 के तहत भू-पट्टी जोन की आवासीय आरक्षित दर के दोगुनी दर से आवंटन की कार्यवाही की जावे।</p> |
| 10. | 11 | 44:10 | <p>ग्राम मानपुर भाटावाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 428 रक्का 0.29 हैक्ट. भूमि जो की औद्योगिक प्रयोजनार्थ 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किया गया था परन्तु भूमि सिवायचक दर्ज हो गई एवं अन्य भूमि के साथ जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो गई है। इस भूमि को वापिस प्रार्थी के नाम मूल उद्योग में दर्ज करने के संबंध में जविप्रा की सहमति/अनापत्ति भेजे जाने के क्रम में।</p> <p>उपायुक्त जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि जिला कलेक्टर जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 4274 दिनांक 05.05.07 द्वारा अवगत कराया की जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम की भूमि खसरा नम्बर 428 रक्का 0.29 हैक्ट. उनके आदेश क्रमांक 5942 दिनांक 07.06.89 से औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कर 99 वर्ष को लीज पर आवंटित की गई है। आवंटी द्वारा किन्हीं कारणों से उनके द्वारा उद्योग बन्द किये जाने से भूमि को वापिस प्रार्थी के नाम दर्ज करने के सम्बन्ध में जविप्रा की सहमति अनापत्ति मांगी गई। वर्तमान में यह भूमि जविप्रा के नाम अन्य सरकारी भूमियों के साथ दर्ज कर दी गई है, जबकि उक्त भूमि उद्योग हेतु लीज पर आवंटित होने पर राजस्व रिकॉर्ड में उद्योग विभाग/लीज पर आवंटन का अंकन होना चाहिए था।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया है कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार जिला कलेक्टर, को संदर्भित परिप्रेक्ष्य में वस्तुस्थिति दर्शाते हुए राजस्व नियमों के तहत सहमति का प्रत्युत्तर भिजवा दिया जावे। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि एल.पी.सी. के निर्णयन संबंधी बिन्दु होने पर ही प्रकरण एल.पी.सी. में रखे जावे।</p> |
| 11. | 12 | 44:11 | <p>पारीक महिला परिषद को सामुदायिक केन्द्र इतु 3000 वर्गमीटर भूमि का रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन हेतु।</p> <p>(ए.ल.पी.सी.) प्राधिकरण, जयपुर</p> <p>उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि पारीक महिला परिषद को सामुदायिक केन्द्र इतु 3000 व.मी. भूखण्ड का नियमानुसार रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चालान संख्या 0202 दिनांक 27. 06.07 राशि 500/- रूपये जमा कराये गये हैं। अनंद लोक योजना में संस्थानिक भूखण्ड जिसका</p> |

| | | | |
|-----|----|----------|--|
| | | | <p>क्षेत्रफल 7864.27 व.मी. का है जिसका सबडिवीजन कर एक भूखण्ड 4864.27 व.मी. का एवं दूसरा भूखण्ड पारिक महिला परिषद हेतु लगभग 3000 व.मी. का दर्शा दिया है। आवंटन से पूर्व इस भूखण्ड का सबडिवीजन हेतु पी.डब्ल्यू.सी. की मिटिंग में अनुपोदन कराया जाना आवश्यक है। अतः संस्था के द्वारा चाहे गये अनुसार नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की कार्यवाही नीतिगत-शर्तों पर की जावे।</p> |
| 12. | 10 | 44.11(1) | <p>हाथीगाँव परियोजना को ग्राम आमेर में आंवटित भूमि में से पर्यटन विभाग राजस्थान सरब्जर द्वारा भूमि अनुपयुक्त मानते हुए जविप्रा को वापस हस्तांतरित करने एवं कला एवं संस्कृति विभाग को कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस हेतु आंवटित भूमि भूमि कला एवं संस्कृति विभाग को कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना हेतु आंवटित करना प्रस्तावित किया है।</p> <p>उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि हाथीगाँव परियोजना को ग्राम आमेर में आंवटित भूमि में से पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा खसरा नं. 1490 से 1492, 1493/9544, 2112 मि. की 2.24 है। भूमि अनुपयुक्त मानते हुए जविप्रा को वापस हस्तांतरित करने एवं कला एवं संस्कृति विभाग को कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस हेतु आंवटित भूमि खसरा नं. 1489/1378 मि. रक्का 1. 26 है। को स्वयं को आंवटित करवाने तथा खसरा नं. 2112^o में से 1.26 है। भूमि कला एवं संस्कृति विभाग को कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना हेतु आंवटित करना प्रस्तावित किया है। दोनों विभागों इस प्रकार से आवंटन कार्यवाही हेतु सहमति प्राप्त हो चुकी है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार आवंटन कर दिया जावे।</p> |
| 13. | 11 | 44.11(2) | <p>एल.पी.सी. की 43वीं बैठक दिनांक 15.12.07 के एजेण्डा कं. 43.9 में रिकोर्ड किये गये निर्णय की पालना में पूरक एजेण्डा</p> <p>उपायुक्त जोन-11 द्वारा एल.पी.सी. की 43 वीं बैठक दिनांक 15.12.07 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कि आवेदक संस्था द्वारा शोक्षणिक एवं सामाजिक गतिविधियों हेतु 20000 वर्गमीटर भूमि की मांग की गई है। प्रकरण में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मानपुर टीलावाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 267/824, 268, 223 में 1.75 हैक्ट. भूमि उपलब्ध है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश (परिशिष्ट-अ) के अनुसार निजी महाविद्यालय हेतु 5000 वर्गमीटर हेतु भूमि आंवटित की जा सकती है। इस कम में राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प-3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 14.2.05 (परिशिष्ट-ब) के अनुसार महाविद्यालय हेतु 8 एकड़ तक भूमि आवंटन की सीमा निर्धारित की गई है। संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार शोक्षणिक एवं सामाजिक गतिविधियों हेतु आंवटित की जाने वाली भूमि एवं दर का निर्णय किया जाना प्रस्तावित किया था जिसपर समिति द्वारा निर्णय लिया गया</p> |

| | | | |
|-----|----|----------|--|
| | | | <p>कि संस्था की पात्रता की जांच व संस्था का भौतिक सत्यापन कर उपायुक्त प्रकरण आगामी एल. पी.सी. में रखेंगे। इसी क्रम में उपायुक्त जोन-4 द्वारा पूरक एजेण्डा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि संस्था सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत क्रमांक: 275/1999-2000 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है। संस्था द्वारा वष 2002, 2003, 2004 एवं 2005-06 की आय व्यय विवरणी प्रस्तुत की गई है। साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट हेतु आर्थिक संसाधन की व्यवस्था आदि का भी विवरण प्रस्तुत किया गया है। संस्था की भौतिक सत्यापन के संबंध में मौका रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। संस्था को आवंटन हेतु प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>समिति द्वारा संस्था की पात्रता जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक संस्था बीफ एण्ड बाईट सोसायटी को इंजीनियरिंग कॉलेज हेतु अनुमति प्राप्त होना अभी शेष है। अतः वर्तमान में आवंटन नहीं किया जाकर संस्था को अनुमति हेतु उपलब्ध भूमि का ब्यौरा प्रस्तुत करने के क्रम में उक्त प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि एक वर्ष के लिए आरक्षित कर दी जावे तथा प्रार्थी संस्था को इंजीनियरिंग कॉलेज की अनुमति प्राप्त होने पर प्रकरण आवंटन हेतु प्रस्तुत किया जावे।</p> |
| 14. | 12 | 44.11(3) | <p>श्री स्वरूप गोविन्द पारीक रानातककोत्तर महाविधालय एवम् सम्बद्ध शिक्षण संस्थाएं (श्री स्वरूप गोविन्द विधालय मैनेजिंग कमटी)को कन्या महाविधालय हेतु भूमि उपलब्ध कराने बाबत।</p> <p>उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि सचिव श्री स्वरूप गोविन्द पारीक रानातककोत्तर महाविधालय एवम् सम्बद्ध शिक्षण संस्थाएं (श्री स्वरूप गोविन्द विधालय मैनेजिंग कमटी)को कन्या महाविधालय हेतु 5बीघा (15000व.मी.) भूमि चाही है जिसमें इनके द्वारा कन्या महाविद्यालय, चौमू की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने बाबत ग्राम चौमू, तहसील चौमू के खसरा नम्बर 4138, 4139 व 4140 में से 4064व.मी. भूमि उपलब्ध है, राजस्व रिपोर्ट अनुसार ग्राम व तहसील चौमू के उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि का स्वामित्व जिविप्रा के नाम दर्ज है। मौके पर भूमि रिक्त है, मौके पर पहुंच हेतु बीटी रोड है। अतः प्रकरण निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही नीतिगत शर्तों पर की जावे।</p> |
| 15. | 7 | 44.11(4) | <p>भूखण्ड संख्या डी- 3/198 के स्थान 4/232 क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर चित्रकूट योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।</p> <p>उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि भूखण्ड संख्या डी-3/198, चित्रकूट योजना का आवंटन श्री दिलीप कुमार जैन पुत्र श्री माणक चन्द जैन को वर्ष 1996 में किया गया था। प्रार्थी को भूखण्ड का कब्जा पत्र एवं लीज डीड दिनांक 18. 03.97 को क्षेत्रफल 257.86 वर्गमीटर का जारी कर</p> <p style="text-align: right;">गणित योजना (पंच.प्र.सं.) गोपर विकास प्राधिकरण, लखनऊ</p> |

| | | | |
|-----|---|----------|---|
| | | | <p>दिया गया था। भूखण्ड संख्या डी-3/197 के आवंटी द्वारा भूखण्ड संख्या डी-3/198 को बाउड्रीवाल तोड़कर अपने भूखण्ड में भूमि शामिल कर बाउड्रीवाल बना ली गई। जिससे भूखण्ड संख्या 3/198 का क्षेत्रफल 213.30 वर्गमीटर ही रह जाने के कारण उक्त भूखण्ड का निर्मित योग्य क्षेत्रफल कम रह जाता है, भूखण्ड संख्या 4/232 नीलामी में दिनांक 09.01.08 रखा गया था, परन्तु माननीय विधायक महोदय श्री मोहन लाल गुप्ता द्वारा उक्त भूखण्ड श्री दिलीप कुमार जैन को भूखण्ड संख्या डी-3/198 के विनिमय में देने हेतु पत्र भिजवाया गया है। इसलिए भूखण्ड संख्या डी-3/198 के विनिमय में भूखण्ड संख्या 4/232 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही भूखण्ड संख्या डी-3/198 को प्राधिकरण द्वारा नियामानुसार निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। प्रार्थी से प्रकरण के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> विनिमय में भूखण्ड संख्या 4/232 लेने के संबंध में अपनी सहमति प्रस्तुत करनी होगी। ग्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या डी-3/198 के समस्त मूल दस्तावेज कार्यालय में समर्पित करने होंगे। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय ए.सी.जे (जेडी) पट्टिचम जयपुर शहर में दायर वाद संख्या 692/07 श्री दिलीप कुमार जैन बनाम मंजू गुप्ता को वापस लेना होगा। <p>उक्त भूखण्ड के संबंध में किसी प्रकार की कोई भी राशि इत्यादि की मांग नहीं करेगा तथा इस बाबत 10/- रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। भूखण्ड संख्या डी-3/198 को प्राधिकरण किसी भी रूप निस्तारण में करने के लिए स्वतन्त्र होगा।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या 4/232 लेने के संबंध में अपनी सहमति लेकर, भूखण्ड संख्या डी-3/198 के मूल दस्तावेज समर्पित करने एवं वाद वापिस लेने के पश्चात् नियमानुसार आवंटन कर दिया जावे तथा भूखण्ड संख्या डी-3/198 को उपलब्ध भूमि को व्यावसायिक भूमि के रूप में नीलामी हेतु प्रस्तावित किया जावे।</p> <p>16. 9 44.11(5) इण्डो फेंच कल्चरल सोसायटी को भूमि आवंटन वावत।</p> <p>उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि सचिव इण्डो फेंच कल्चरल सोसायटी द्वारा 3000 वर्गमीटर भूमि विवेशी भाषा सिखाने हेतु ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील के आराजी खसरा नम्बर 271 जो कि जविप्रा के स्वामित्व की चरागाह भूमि है जिसका क्षेत्रफल 2.86 हैक्टेयर है, जिसमें से दुर्घटना थाने को 3000 व.मी. एवं लोकमत समाचार</p> |
| 16. | 9 | 44.11(5) | <p>इण्डो फेंच कल्चरल सोसायटी को भूमि आवंटन वावत।</p> <p>उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि सचिव इण्डो फेंच कल्चरल सोसायटी द्वारा 3000 वर्गमीटर भूमि विवेशी भाषा सिखाने हेतु ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील के आराजी खसरा नम्बर 271 जो कि जविप्रा के स्वामित्व की चरागाह भूमि है जिसका क्षेत्रफल 2.86 हैक्टेयर है, जिसमें से दुर्घटना थाने को 3000 व.मी. एवं लोकमत समाचार</p> <p style="text-align: right;">उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।</p> |

| | | | |
|-----|----|----------|---|
| | | | पत्र को 8000 व.मी. भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा चुकी है। रोष 3000व.मी. भूमि उक्त संस्था को आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया है कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार संस्थानिक दर पर भूमि का आवंटन नीतिगत शर्तों पर किया जावे। |
| 17. | 11 | 44.11(6) | <p>मैसर्स ग्रासफोल्ड फायर केपिटल प्रा.लि. को ग्राम नासनोता तहसील दूदू की सरकारी भूमि के आवंटन के संबंध में।</p> <p>उपर्युक्त जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नासनोता जविप्रा रीजन में दिनांक 1.10.07 की अधिसूचना के द्वारा नवीन शामिल किया गया है। आवेदक कम्पनी द्वारा निजी आवासीय योजना सृजित करने के उद्देश्य से 'री-सर्जन्ट राजस्थान' में राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू. किया है। आवेदित भूमि के ग्राम व अन्य आसपास के ग्रामों में कम्पनी द्वारा योजना बनाई जा रही है। आवेदित भूमि आवेदक कम्पनी की भूमि के मध्य में स्थित होने से आवंटन चाहा जा रहा है। आवेदित भूमि रिकार्ड में अभी जविप्रा के नाम दर्ज नहीं हुई है। राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया गया है। आवेदित भूमि में खसरा नम्बर 583 व 596 रकबा 4.71 हैक्टेयर की किस्म 'ब्रीड' है। नामान्तरण की प्रत्याशा में आवंटन हेतु प्रस्तावित है। आवेदित भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन व रूपान्तरण आदि आवेदक कम्पनी के द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। नवीन टाउनशिप पॉलिसी दिनांक 29.3.07 में विकासकर्ता को स्थानीय निकाय द्वारा भूमि आवंटित करने का प्रावधान रखा गया है जिसमें प्रतिफल के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर मापदण्ड तय किये जाने हैं। जो अभी तक तय नहीं है। जिसके संबंध में निर्णय अपेक्षित है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया है कि नामान्तरण की प्रत्याशा में तथा प्रतिफल के मापदण्ड के संबंध में राज्य सरकार के नियमों की प्रत्याशा में इस शर्त पर आवंटन का निर्णय लिया गया कि आवंटित भूमि के बदले समान स्थिति की 60प्रतिशत(आवंटित भूमि का) विकसित भूमि जविप्रा को समर्पित करनी होगी। योजना क्षेत्र में से विकसित भूमि का चयन जविप्रा द्वारा किया जावेगा।</p> |
| 18. | 12 | 44.11(7) | <p>सुरमन संस्थान को भूमि आवंटन बाबत</p> <p>उपर्युक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि आवेदक संस्था सुरमन संस्थान द्वारा बालगृह संचालन हेतु 3000 व.मी. भूखण्ड का नियमानुसार रियायती/निःशुल्क दर पर भूखण्ड आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, दी अरबन को। आपरेटिव बैंक लि. का 500/- रुपये का चैक संलग्न किया है। संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में संलग्न पत्रानुसार आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक एफ14(1)(235)</p> <p style="text-align: right;">अवृत्ति ग्रामपाल (पल.दी.री.) प्रधिकरण, राजस्थान</p> |

| | | | |
|-----|----------|---|--|
| | | | <p>पंजी/सुरमन जय/ मुबाझ/सान्याअवि/07/ 53275 जयपुर दिनांक 30.8.07 के पत्रानुसार आयुक्त द्वारा जयपुर विकास आयुक्त महोदय को सुरमन संस्थान, जयपुर के कल्याणकारी उद्देश्यों को देखते हुये संस्था को बालगृह की स्थापना हेतु निःशुल्क/रियायती दर पर भूमि आवंटित करने की अभिशंखा की गई है तथा आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ14(1)(235) पंजी/सुरमन जय/ मुबाझ/सान्याअवि/07/48753 जयपुर दिनांक 08.8.07 के अनुसार सुरमन संस्थान को किशोर न्याया (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 व संशोधित अधिनियम, 2006 की धारा 2(घ) में देखरेख इ संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में परिभाषित बच्चों के लिए राजस्थान राज्य में कार्य करने हेतु अधिनियम की धारा 34(3) के अन्तर्गत 2 वर्ष की अवधि के लिये अस्थायी रूप से पंजीकृत किया गया है एवं उक्त अधिनियम के तहत बालगृह के रूप में योग्य संस्थान (फिट इन्स्टीट्यूशन) प्रमाणित किया गया है। आनंद लोक आवासीय योजना में संस्थानिक भूखण्ड जिसका कोनाफल 4864.27 व.मी. का है जिसका सबडिवीजन कर एक भूखण्ड 2864.27 व.मी. का एवं दूसरा भूखण्ड सुरमन संस्थान हेतु लगभग 2000 व.मी. का दर्शा दिया है। आवंटन से पूर्व इस भूखण्ड का सबडिवीजन हेतु पी.डब्ल्यू.सी. की मिटिंग में अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है। अतः संस्था के द्वारा ज्ञाहे गये अनुसार नियमानुसार 2000 व.मी. आवंटन की कार्यवाही की जा सकती है। अतः प्रकरण एल.पी.सी. के निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार नियमानुसार भूमि के विभाजन व स्वतंत्र उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए 2500व.मी. भूमि का आवंटन पी.डब्ल्यू.सी. से अनुमोदन व राज्य सरकार की नीतिगत शर्तों पर किया जावे।</p> |
| 19. | 44.11(8) | राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल को भूमि आवंटन बाबत। | <p>उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि ग्राम कानोता तह, बस्सी के ख.नं. 762 रकबा 22बीघा 1बिस्वा भूमि जविप्रा स्वामित्व की है तथा राजस्व रिकार्ड में प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि में से 5बीघा भूमि राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल को कॉलेज एवं हॉस्पिटल हेतु आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। मास्टर प्लान 2011 के अनुसार उक्त भूमि का भू उपयोग ग्रामीण क्षेत्र है तथा प्रस्तावित भूमि में जाने के लिए आगरा रोड से प्रस्तावित स्थल तक 60/80फीट चौड़ी रोड किया जाना आवश्यक है तथा भूमि भू उपयोग ग्रामीण से संस्थानिक उपान्तरण कराना आवश्यक है।</p> <p style="text-align: right;">अतिः आयुक्त (एन.पी.सी.) जयपुर विकास प्रशिक्षण, जयपुर</p> |

| | | | |
|-----|---|----------|---|
| | | | समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण एजेंडा अपूर्ण होने व समुचित परीक्षण ना होने से स्थगित किया गया व पुनः पूर्ण तथ्यों व पात्रता की जांच के बाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही करें। |
| 20. | 4 | 44.11(9) | <p>ई. पी. के सामने 200 फुट रोड निर्माण के समय दुकान हटाने पर दुकान के बदले दुकान देने बाबत।</p> <p>उपायुक्त जोन-4 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की तीन दुकानें ई.पी. के सामने 200 फीट सैकटर रोड निर्माण के समय हटाई गई थी। जिसमें सर्वे सूची में एक दुकान दर्ज है व दो दुकानों हेतु प्रार्थी के सबूतों के आधार पर प्रमाणित होती है। इस तरह से 50-50 वर्ग गज की हटाये जाने का प्रकरण है एवं इन दुकानों के बदले दी जाकर पुनर्वास किया जाना है इस प्रकार व्यावसायिक दुकान आवंटन की जा सकती है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार दुकान नं. 53 के सर्वेधारी जगदीश शर्मा को विस्थापित किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में समान प्रकृति के प्रकरणों में अपनायी गई पुनर्वास नीति के तहत एक व्यावसायिक दुकान आवंटित की जावे तथा शेष अन्य दो भूखण्डों के संबंध में हकदार सर्वेधारी की स्थिति का पूर्ण परीक्षण करने की कार्यवाही की जावे।</p> |

एल.पी.सी. के पूर्व निर्णयों के क्रम में पुनः निर्देशित किया गया कि उपायुक्त जोन द्वारा भू-आवंटन के संबंध में नीतिगत शर्तों की पालना सुनिश्चित कर जावे। प्रकरणवार वस्तुस्थिति व पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जावे। उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में नोटिस जारी कर नियमान्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही की जावे।

हत्यारश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
 अतिरिक्त अधिकारी अधिकारी (एल.पी.सी.)
 अतिरिक्त अधिकारी (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर
3. महारौप, जयपुर नगर निगम, जयपुर
4. ग्रमुख, जिला परिषद, जयपुर
5. श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, विधायक, फागी
6. श्री सुरेन्द्र पारीक, विधायक, हवामहल
7. श्री मोहन लाल गुप्ता, विधायक, किशनपोल
8. श्री शोरू मिंह राठौड़, विधायक, बनीपार्क
9. श्री कालीचरण सर्वाफ, विधायक, जौहरी बाजार

- 10- श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक, बस्सी
- 11- श्री नवरतन राजौरिया, विधायक, सांभर
- 12- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- 13- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
- 14- जिला कलक्टर, जयपुर
- 15- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
- 16- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
- 17- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
- 18- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
- 19- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
- 20- निदेशक(वित्त/अभियोजना), जविप्रा, जयपुर
- 21- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
- 22- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
- 23- उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- 24- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
- 25- रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
 अतिरिक्त आयुक्त एवं प्राधिकरण, जयपुर
 अतिरिक्त आयुक्त प्राधिकरण (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट-अ

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 44वीं बैठक दिनांक 13.02.08 में उपस्थित रहे।

जन-प्रतिनिधियों/अधिकारियों की सूची:-

| क्र.सं. | जन प्रतिनिधि/अधिकारी मय पद | एल.पी.सी. में पद |
|---------|---|------------------|
| 1. | श्री डी.बी.गुप्ता,आयुक्त, जविप्रा | अध्यक्ष |
| 2. | श्री सुरेन्द्र पारीक, मा. विधायक | सदस्य |
| 3. | श्री राम निवास मीणा, सचिव, जविप्रा | सदस्य |
| 4. | श्री हरीशंकर भारद्वाज, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम) | सदस्य |
| 5. | श्री बी.के.दोसी, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व) | सदस्य |
| 6. | श्री महेन्द्र सोनी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि) | सदस्य |
| 7. | श्री नरेश कुमार शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त(एल.पी.सी.) | सदस्य सचिव |
| 8. | श्री कौमुदी गुप्ता, निदेशक (वित्त) | सदस्य |
| 9. | श्री एस.सी.महागांवकर, निदेशक (आयोजना) | सदस्य |
| 10. | श्री देवेन्द्र शर्मा, उपायुक्त जोन 1 व 4 | विशेष आमन्त्रित |
| 11. | श्री सुखवीर सैनी, उपायुक्त जोन-2 | विशेष आमन्त्रित |
| 12. | श्री वासुदेव शर्मा, उपायुक्त जोन-6 | विशेष आमन्त्रित |
| 13. | श्री एस.मित्रा, उपायुक्त जोन-7 | विशेष आमन्त्रित |
| 14. | श्री राजपाल सिंह यादव, उपायुक्त जोन-9 | विशेष आमन्त्रित |
| 15. | श्री डी.आर.सैनी, उपायुक्त जोन-10 | विशेष आमन्त्रित |
| 16. | श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त जोन 11 | विशेष आमन्त्रित |
| 17. | श्री राकेश राजोरिया, उपायुक्त जोन-12 | विशेष आमन्त्रित |
| 18. | श्री एम.एल.गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व) | विशेष आमन्त्रित |
| 19. | श्री अरूण जोशी, पी.आर.ओ. | विशेष आमन्त्रित |

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर